



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022024-252145
CG-DL-E-16022024-252145

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 15, 2024/ माघ 26, 1945 (शक)
No. 6] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2024/MAGHA 26, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 15th February, 2024/Magha 26, 1945 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 15th February, 2024 and is hereby published for general information:—

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ORDERS (AMENDMENT) ACT, 2024

No. 6 OF 2024

[15th February, 2024.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to the State of Odisha.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2024. Short title.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,— Definitions.

C.O. 19.

(a) “Scheduled Castes Order” means the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950;

C.O. 22.

(b) “Scheduled Tribes Order” means the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

Amendment of
Scheduled
Castes Order.

3. The Scheduled Castes Order is hereby amended in the manner and to the extent specified in the First Schedule.

Amendment of
Scheduled
Tribes Order.

4. The Scheduled Tribes Order is hereby amended in the manner and to the extent specified in the Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(See section 3)

- C.O. 19. In the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, in the Schedule, in PART XIII.—*Odisha*, entries 87 and 88 shall be omitted.

THE SECOND SCHEDULE

(See section 4)

C.O. 22. In the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, in the Schedule, in PART XII.—Orissa,—

(a) for “PART XII.—Orissa”, the following shall be substituted, namely:—

“PART XII.—Odisha”;

(b) for entry 6, the following entry shall be substituted, namely:—

“6. Bhuiya, Bhuyan, Pauri Bhuyan, Paudi Bhuyan”;

(c) in entry 8, after “Tamaria Bhumij”, the following shall be inserted, namely:—

“, Tamodia Bhumij, Tamudia Bhumij, Tamundia Bhumij, Tamulia Bhumij, Tamadia Bhumij, Tamadia, Tamaria, Tamudia”;

(d) for entry 9, the following entry shall be substituted, namely:—

“9. Bhunjia, Chuktia Bhunjia”;

(e) in entry 13, after “Banda Paroja”, the following shall be inserted, namely:—

“, Banda Paraja, Bonda Paraja, Bondo, Bonda, Banda”;

(f) for entry 17, the following entry shall be substituted, namely:—

“17. Dharua, Dhuruba, Dhurva, Durua, Dhurua, Dhurava”;

(g) in entry 28, after “Kanwar”, the following shall be inserted, namely:—

“, Kaur, Kunwar, Kaonr, Kuanr, Konwar, Kuanar, Kaanr, Koanr, Kuanwar”;

(h) for entry 31, the following entry shall be substituted, namely:—

“31. Khond, Kond, Kandha, Kandha Kumbhar, Nanguli Kandha, Sitha Kandha, Kondh, Kui, Kui (Kandha), Buda Kondh, Bura Kandha, Desia Kandha, Dungaria Kondh, Kutia Kandha, Kandha Gauda, Muli Kondh, Malua Kondh, Pengo Kandha, Raja Kondh, Raj Khond”;

(i) in entry 47, after “Mankidi”, the following shall be inserted, namely:—

“, Mankidia”;

(j) in entry 53, after “Uran”, the following shall be inserted, namely:—

“, Uram, Oram, Uraon, Dhangara, Oraon Mudi”;

(k) in entry 55, after “Solia Paroja”, the following shall be inserted, namely:—

“, Bareng Jhodia Paroja, Penga Paroja, Pengu Paroja, Porja, Selia Paroja”;

(l) in entry 57, after “Rajuar”, the following shall be inserted, namely:—

“, Rajual, Rajuad”;

(m) in entry 59, after “VesuSaora”, the following shall be inserted, namely:—

“, Saara”;

(n) after entry 62, the following entries shall be inserted, namely:—

“63. Muka Dora, Mooka Dora, Nuka Dora, Nooka Dora (in undivided Koraput district which includes Koraput, Nowrangapur, Rayagada and Malkangiri districts)

64. Konda Reddy, Konda Reddi”.

DR. RAJIV MANI,
Secretary to the Govt. of India.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022024-252251
CG-DL-E-20022024-252251

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2024/ फाल्गुन 1, 1945 (शक)
No. 13] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2024/PHALGUNA 1, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 20th February, 2024/ Phalguna 1, 1945 (Saka)

CORRIGENDUM

The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2024 (6 of 2024), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, dated the 15th February, 2024, Issue No. 6, in page 5, line 1, *for* “VesuSaora”, *read* “Vesu Saora”.

DR. RAJIV MANI,
Secretary to the Govt. of India.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052025-263371
CG-DL-E-26052025-263371

भाग II — खण्ड 1क

PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 01] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2025/ पौष 23, 1946 (शक) [खंड LXI
No. 01] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2025/PAUSA 23, 1946 (SAKA) [VOL. LXI

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

fof/k vkj U;k; e=ky;

¼fo/kk;h foHkkx½

ub fnYyh] 13 tuojuh] 2025@23 i"kJ 1946 ¼"kd½

दि नेशनल फोरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 2020; (2) दि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशन कोड, 2020; (3) दि माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2021; (4) दि ट्रिब्यूनल्स रिफार्म्स ऐक्ट, 2021; (5) दि इंडियन अंटार्कटिक ऐक्ट, 2022; (6) दि मेरिटाइम एंटी पाइरेसी ऐक्ट, 2022; (7) दि बायोलाजिकल डायवर्सिटी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (8) दि जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (9) दि पोस्ट आफिस ऐक्ट, 2023; (10) दि कांस्टिट्यूशन (जम्मू एंड कश्मीर) शिड्यूलड ट्राइब्स आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2024; (11) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूलड कास्ट्स एंड शिड्यूलड ट्राइब्स) आर्डर्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2024; (12) दि फाइनेंस ऐक्ट, 2024 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, January 13, 2025/Pausa 23, 1946 (Saka)

The National Forensic Sciences University Act, 2020; (2) The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; (3) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021; (4) The Tribunals Reforms Act, 2021 (5) The Indian Antarctic Act, 2022; (6) The Maritime Anti-Piracy Act, 2022; (7) The Biological Diversity (Amendment) Act, 2023; (8) The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Act, 2023; (9) The Post Office Act, 2023; (10) The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 2024; (11) The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2024; (12) The Finance Act, 2024 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 32).....	03
The National Forensic Sciences University Act, 2020	
उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 37).....	31
The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020	
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 16)	137
The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021	
अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 33).....	155
The Tribunals Reforms Act, 2021	
भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 13).....	179
The Indian Antarctic Act, 2022	
समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम, 2022 (2023 का अधिनियम संख्यांक 3).....	205
The Maritime Anti-Piracy Act, 2022	
जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 10).....	211
The Biological Diversity (Amendment) Act, 2023	
जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 34)	231
The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Act, 2023	
डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 43)	233
The Post Office Act, 2023	
संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 3).....	237
The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 2024	
संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 6)	239
The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2024	
वित्त अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 8).....	245
The Finance Act, 2024	

संविधान (अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024

(2024 का अधिनियम संख्यांक 6)

[15 फरवरी, 2024]

ओडिशा राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची
को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950
और संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 का
और संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित
जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 है ।

संक्षिप्त नाम ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अनुसूचित जातियां आदेश” से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, सं.आ.19
1950 अभिप्रेत है ;

(ख) “अनुसूचित जनजातियां आदेश” से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) सं.आ.22
आदेश, 1950 अभिप्रेत है ।

अनुसूचित जातियां
आदेश का
संशोधन ।

3. अनुसूचित जातियां आदेश का ऐसी रीति में और उस सीमा तक संशोधन किया
जाता है जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

अनुसूचित
जनजातियां आदेश
का संशोधन ।

4. अनुसूचित जनजातियां आदेश का ऐसी रीति में और उस सीमा तक संशोधन
किया जाता है जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

पहली अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

सं.आ. 19

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 13 - ओडिशा में,
प्रविष्टि 87 और प्रविष्टि 88 का लोप किया जाएगा ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 12 - उड़ीसा में,—

सं.आ. 22

(क) “भाग 12 - उड़ीसा”, के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“भाग 12 - ओडिशा”;

(ख) प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“6. भुइया, भूयां, पाउडि भूयां, पाउडि भूयां”;

(ग) प्रविष्टि 8 में, “तमारिया भूमिज” के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“तामडिया भूमिज, तामुडिया भूमिज, तामुंडिया भूमिज, तामुलीया भूमिज, तामाडिया भूमिज, तामाडिया, तामारिआ, तामुडिया”;

(घ) प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“9. भुन्जिआ, चुकटिआ भुन्जिआ”;

(ङ) प्रविष्टि 13 में, “बंडा परजा” के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“, बंडा परजा, बंडा परजा, बंडा, बंडा, बंडा”;

(च) प्रविष्टि 17 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“17. धारुआ, धुरुबा, धुर्वा, दुरुआ, धुरुआ, धुरवा” ;

(छ) प्रविष्टि 28 में, “कनवार” के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“, कउर, कुँवर, कुँवर, कुँवर, कंवर, कुँवर, कअंर, कअंर, कुँवर”;

(ज) प्रविष्टि 31 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“31. खौंड, कौंड, कन्ध, कन्ध कुम्भार, नांगुली कन्धा, शीथा कन्धा, कौंध, कुई, कुई (कंध), बूढा कौंध, बूरा कंधा, देसिया कंधा, डुंगरिया कौंध, कुटिया कंधा, कंधा गोडा, मुली कौंध, मलुआ कौंध, पेंगो कंधा, राजा कौंध, राज खौंड”;

(झ) प्रविष्टि 47 में, “मानकिडी” के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“, मांकिडिआ”;

(ज) प्रविष्टि 53 में, “उरांव” के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“, उराम, ओराम, उराओं, धांगर, ओरान मुदी”;

(ट) प्रविष्टि 55 में, “सोलिया परोजा” के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“, बारेंग झोडिआ परजा, पेंग परजा, पेंगु परजा, परजा, सेलिआ परजा”;

(ठ) प्रविष्टि 57 में “राजुआर” के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“, राजुआल, राजुआड”;

(ड) प्रविष्टि 59 में, “बेसु साओरा” के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“, सअर”;

(ढ) प्रविष्टि 62 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“63. मुका दोरा, मुका दोरा, नुका दोरा, नुका दोरा (अविभाजित कोरापुट जिले में, जिसके अन्तर्गत कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ और मलकानगिरि जिले आते हैं) ।

64. कौंडा रेड्डी, कौंडा रेड्डी ।”।